

#12 जूरी पंचायत

यह कानून पंचायत एवं स्थानीय स्तर के प्रशासन को सुधारने के लिए लिखा गया है। इस कानून को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे विधानसभा से पास करके राज्य में लागू कर सकते हैं। निचे इस कानून के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/JuryPanchayat](https://tinyurl.com/JuryPanchayat)

(1) इस कानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. सरपंच | 4. नगर परिषद / नगर निगम पार्षद |
| 2. तहसील पंचायत समिती प्रधान | 5. नगर परिषद सभापति / मेयर |
| 3. जिला पंचायत प्रमुख | |

तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी जनप्रतिनिधि के काम-काज से संतुष्ट नहीं हैं, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि यह एक सुझाव है।

(2) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। निम्नलिखित 6 अधिकारियों, धारा (1) में दिए जनप्रतिनिधियों एवं उनके स्टाफ से सम्बंधित नागरिक शिकायतें जूरी ड्यूटी के दायरे में रहेगी। जूरी का चयन लॉटरी से किया जाएगा, तथा मामले की हैसियत के अनुसार जूरी में 15 से 1500 नागरिक तक हो सकेंगे। यदि लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो आपको अमुक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज नागरिक शिकायतों की सुनवाई करके फैसला देना होगा। शिकायत की गंभीरता के अनुसार आप निम्न अधिकारियों पर जुर्माना आदि लगा सकते हैं।

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. पटवारी | 4. गिरदावर |
| 2. ग्राम विकास अधिकारी | 5. नगर परिषद सचिव |
| 3. तहसीलदार | 6. जिला परिषद सचिव |

(3) इस कानून के पारित होने के बाद से सरपंच का सेवा भत्ता न्यूनतम 40,000 रु एवं अधिकतम 50,000 मासिक होगा। सरपंच अधिकतम 8 पंचायत से चुनाव लड़ सकेगा और वह उतनी पंचायतों का सेवा भत्ता प्राप्त करेगा, जितनी पंचायत में वह सरपंच चुना गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 6 पंचायत से चुनाव लड़ता है, और 5 पंचायत से जीत जाता है तो वह 2,00,000 रु मासिक प्राप्त करेगा।

(4) इस कानून के पारित होने के बाद सभापति का सेवा भत्ता न्यूनतम 60,000 रु एवं अधिकतम 80,000 रु होगा। नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम पार्षद का न्यूनतम सेवा भत्ता 15,000 से 25,000 रु मासिक होगा। पार्षद किन्ही 5 वार्ड से चुनाव लड़ सकेगा, और वह उतने वार्ड का सेवा भत्ता प्राप्त करेगा जितने वार्ड से वह चुना गया है।